यह जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार का अधिकार पहले से ही मौजूद है।

पंजीकृत धान की कृषक किस्म–इन्द्रासन

अधिनियम की धारा 23 (6) एवं 28 में जिन तथ्यों का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि कोई भी अनिवार्य रुप से व्युत्पन्न किस्म, कृषक किस्म से विकसित की गयी हो, धारा 28 (2) के अंतर्गत प्रजनक अधिकृत नहीं कर सकता जबतक कि कृषक अथवा कृषकों के समूह अथवा कृषक समुदाय से सहमति न प्राप्त कर ली गयी हो जिन्होने ऐसी किस्मों के सरंक्षण अथवा विकास में कोई न कोई योगदान दिया हो।

शुल्क से छूट–इस अधिनियम की धारा 44 इसके बनाए नियम के अंतर्गत कोई भी कृषक अथवा कृषक समूह अथवा ग्राम समुदाय, प्राधिकरण अथवा रजिस्ट्रार अथवा न्यायाधिकरण अथवा उच्च न्यायलय के समक्ष किसी भी कार्यवृत हेतु शुल्क अदा करने हेतु बाध्य नहीं है। अर्थात् शुल्क से छूट प्राप्त है।

व्याख्या–''कार्यवृत हेतु शुल्क'' इस अधिनियम की इस धारा मे प्रावधान है कि कृषक पत्राजात अथवा दस्तावेज का निरीक्षण करना चाहता है अथवा निर्णय अथवा आज्ञा की प्रति प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।

जीननिधि (अधिनियम की धारा 45)

(1) केन्द्रीय सरकार एक निधि का गठन करेगी जो राष्ट्रीय जीन निधि कहलाएगी और इसमें धनागम निम्न स्रोतों से होगा –

(ए) किस्म के प्रजनक अथवा अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म जो इस अधिनियम मे पंजीकृत है अथवा उक्त किस्म की रोपण सामग्री अथवा अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म, जैसी भी स्थिति हो, से निर्धारित तरीके से प्राप्त लाभ की भागीदारी।

(बी) अधिनियम की धारा 35(1)के अंतर्गत वार्षिक शुल्क की रायल्टी के रूप में।

(सी) अधिनियम की धारा 41(4) के अंतर्गत जीननिधि में जमा करायी गयी क्षतिपूर्ति।

(डी) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अन्य स्रोत से प्राप्त अंशदान।

(2) जीननिधि, निर्धारित तरीके से निम्न कार्यो के लिए उपयोग की जाएगी–

(ए) अधिनियम की धारा 26(5) के अनुसार लाभ में भागीदारी के भुगतान हेतु।

(बी) अधिनियम की धारा 41 (3) के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु।

(सी) स्व स्थानों और बर्हिस्थानों में किए गए संग्रह सहित आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग में सहायता देने हेतु खर्च तथा ऐसे संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को सम्पन्न करने वाली पंचायत क्षमता को सबल बनाने हेतु।

(डी) अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत निर्धारित किए गए लाभ में भागीदारी से संबधित योजनाओं पर खर्च।

धारा 45 के अंतर्गत लाभ में भागीदारी प्राप्त करने का तरीका (नियम 69)

किस्म अथवा अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म का प्रजनक लाभ में भागीदारी की धनराशि जीन निधि में अधिनियम की धारा 26 के उपधारा (6) के अनुसार जमा करेगा

धारा 45 के अंतर्गत जीन निधि के उपयोग का तरीका (नियम 70)

(1) प्राधिकरण, नयी और अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म के क्रमिक विकास में प्रयुक्त आनुवंशिक सामग्री के लिए आवश्यक प्रतिपूर्ति, लाभ में भागीदारी के लिए सम्बन्धित योजना बनाने और आनुवंशिक सामग्री के टिकाऊ प्रयोग और संरक्षण में व्यय को वहन करना।

(2) जीन निधि निम्न उद्देश्यों हेतु प्राथमिकता के अनुसार प्रयुक्त होगी।

(ए) कृषकों, कृषकों के समूह, विशेष रूप से जनजातीय और ग्रामीण समुदाय से, विशेष रूप से पहिचाने गये कृषि–जैव–विविधता के क्षेत्र (हॉट–स्पॉट) जो, आर्थिक महत्व के पौधों और उनके वन्य सम्बन्धियों के संरक्षण, सुधार और परिरक्षण में संलग्न है को मदद और पुरस्कार प्रदान करना;

(बी) स्थानीय निकाय स्तर पर बर्हि–स्थाने संरक्षण हेतु क्षमता विकास विशेष रूप से पहचाने गए कृषि जैव विविधता के क्षेत्र (हॉट–स्पॉट) और स्व–स्थान संरक्षण में मदद हेतु;

(सी) धारा 26 की उपधारा (5) और धारा 41 की उपधारा (3) के अनुसार लाभ में भागीदारी और प्रतिपूर्ति हेतु;

(डी) जीन निधि के संचालन हेतु परिचालन व्यय।

योजनाओं को बनाना (अधिनियम की धारा 46)

(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 41 और धारा 45(2) (डी), अधिकारिक गज़ट में अधिसूचित कर एक अथवा अधिक योजना बना सकती है।

(2) उपधारा (1) में वर्णित प्रावधानों हेतु योजना समस्त अथवा निम्न मामलों में से किसी हेतु प्रबन्ध कर सकती है।

(ए) योजनान्तर्गत दावों के पंजीकरण के उद्देश्य से और उस पंजीकरण से सम्बन्धित समस्त मामले।

(बी) दावों से सम्बिधित मामलों का परिचालन एव कार्यवाही करना।

(सी) ऐसे दावों से सम्बन्धित रजिस्टर व रिकार्ड का रखरखाव।

(डी) उपयोग, वितरण का तरीका (हिस्सेदारी सहित) अथवा अन्यथा संतुष्ट किसी दावे से प्राप्त कोई धनराशि।

(ई) विवाद की स्थिति में ऐसे दावों के निपटारे अथवा हिस्सेदारी हेतु प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया तरीका।

(एफ) प्रजनन, किस्मों के विकास अथवा खोज से सम्बन्धित उद्देश्यों में लाभ की भागीदारी का उपयोग।

(जी) उपधारा (डी) में उल्लिखित धनराशि के खातों का अंकेक्षण और रखरखाव।

पंजीकृत धान की कृषक किस्म–हंसराज

पादप जीनोंम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड 2009–10

संकलन एवं अनुवाद – डॉ. तेजवीर सिंह, रजिस्ट्रार,
डॉ. मनोज श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार,
श्री उमाकान्त दुबे, उप रजिस्ट्रार

सम्पर्क के लिए पता :
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकारण
एस–2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली–110012
दूरभाष : 011–25843315, 25840777, 25843808
फैक्स: 011–25840478
oc lkbV % www.plantauthority.gov.in,
E-mail:ppvfra-agri@nic.in

द्वितीय मुद्रण : 500 प्रतियां दिसम्बर 2011
विवरणिका नः कृ. अ. / 3

कृषक अधिकार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार
एनएएससी काम्प्लैक्स, डीपीएस मार्ग, निकट टोडापुर गांव,
नई दिल्ली–110012

कृषक अधिकार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है। भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है एवं कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। कृषकों को, उनके कृषि कार्य, अनुभवों एवं योगदान के आधार पर पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में उनके अधिकारों का संरक्षण किया गया है जिसका अधिनियम की अनेक धाराओं में उल्लेख है।

'कृषक' (अधिनियम की धारा 2(के)) कोई भी वह व्यक्ति हो सकता है जो –

(i) स्वयं खेत जोतकर फसलें उगाता है; या

(ii) प्रत्यक्ष रूप से खेती पर निगरानी रखते हुए अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खेत में फसलें उगाता है; या

(iii) अनेक के साथ अथवा संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी वन्य प्रजाति या परंपरागत किस्म का संरक्षण और परिरक्षण करता है अथवा ऐसी वन्य प्रजाति या परंपरागत किस्म के उपयोगी गुणों का चयन और उनकी पहचान करके वन्य प्रजातियों का मूल्य प्रवर्धन करता है।

'कृषक किस्म' {अधिनियम की धारा 2(एल)} कोई भी वह किस्म है जो–

(i) कृषकों द्वारा अपने खेत में परंपरागत रूप से उगाई व विकसित की गई हो; या

(ii) ऐसी वन्य संबंधी या भू–प्रजाति या किस्म जिसके बारे में कृषकों को सामान्य ज्ञान हो।

कृषकों के अधिकार (अधिनियम की धारा 39)

(iii) इस अधिनियम के अंतर्गत वह कृषक जिसने नई किस्म का प्रजनन अथवा विकास किया गया है, को पंजीकरण एवं अन्य सुरक्षा का वैसे ही अधिकार प्राप्त है जैसे कि एक किस्म के प्रजनक को अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त है।

(iv) कृषक किस्म, पंजीकरण के योग्य है यदि आवेदन पत्र धारा 18 उपधारा 1 (एच) के अनुसार घोषणा की गई हो तथा उक्त धारा में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता हो।

(v) कृषक, जो भू–प्रजाति एवं आर्थिक वन्य–सम्बन्धी महत्व के पौधों के आनुवंशिक संसाधन के संरक्षण, चयन, परिरक्षण एवं सुधार कार्य में लगे है, नियमानुसार निर्धारित तरीके से जीन निधि से पुरस्कार एवं मान्यता के हकदार है बशर्ते कि चयनित एवं संरक्षित सामग्री का उपयोग इस अधिनियम के अंतगर्त पंजीकरण योग्य किस्मों में दाता जीन के रूप में प्रयोग किया गया हो।

(vi) कृषक को इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित किस्म के बीज के साथ–साथ प्रक्षेत्र की उपज व किस्म का बीज बचाने, उपयोग करने, बोने, पुनः बोने, आदान –प्रदान (विनिमय) करने, भागीदारी (हिस्सेदारी) अथवा विक्रय करने का अधिकार है जैसा कि उसे अधिनियम लागू होने से पहले था तथा कृषक को अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित किस्म के ब्राण्डेड बीज के विपणन/बिक्री करने की अनुमति नहीं है।

व्याख्या– उपधारा (iv) के उद्देश्य, से ब्रांडयुक्त बीज का अर्थ उस बीज से है जो किसी पैकेट अथवा किसी अन्य पात्र में रखा और लेबेल लगाया गया हो जिससे स्पष्ट होता है कि किस्म का बीज, इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित किया है। केवल रोक यह है कि कृषक को इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित किस्म को ब्रांडयुक्त करके बेचने का अधिकार नहीं है। अतएव कृषक एवं प्रजनक दोनों के अधिकार सुरक्षित है।

क्षतिपूर्ति हेतु प्रावधान {अधिनियम की धारा 39 (2)}

जिन मामलों में इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्म की रोपण सामग्री किसी कृषक अथवा कृषकों के समूह अथवा कृषकों के संगठन को बिक्री की गयी है वहाँ प्रजनक, कृषक अथवा कृषकों के समूह अथवा कृषकों के संगठन, जैसी भी स्थिति हो, निश्चित दशा में उस किस्म के सम्भावित निष्पादन से सम्बधित जानकारी उपलब्ध कराएगा। यदि सम्बंधित रोपण सामग्री, निश्चित दशा में सम्भावित निष्पादन देने में सफल नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में कृषक अथवा कृषकों के समूह अथवा कृषकों का संगठन, जैसी भी स्थिति हो, प्राधिकरण में निर्धारित तरीके से क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। प्राधिकरण किस्म के प्रजनक को सूचना (नोटिस) देकर और निर्धारित तरीके से प्रतिवाद प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद, दोनो पक्षो की सुनवाई कर किस्म के प्रजनक को निर्देश दे सकता है कि कृषक अथवा कृषकों के समूह अथवा कृषकों के संगठन, जैसी भी स्थिति हो, को क्षतिपूर्ति करें, और तदनुसार राशि का भुगतान करें।

अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा–(नियम 66)

(1) कोई कृषक, कृषकों का समूह अथवा कृषकों का संगठन अधिनियम की धारा 39(2) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के दावा हेतु आवेदन कर सकता है।

(2) दावा हेतु आवेदन उपरोक्त उप नियम (1) के अंतर्गत प्रथम अनुसूची की पी वी–25 प्रारूप के अनुरूप होना चाहिए।

नियम 66 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति हेतु दावा के आवेदन की प्रक्रिया (नियम 67)

(1) पंजीकृत किस्म जिसके सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति दावा प्राप्त हुआ है, प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत प्रजनक को नोटिस भेजा जाना।

(2) उपरोक्त उप नियम (1) के अंतर्गत प्रजनक को प्राधिकरण से नोटिस प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर प्रथम अनुसूची के प्रारूप पी वी– 26 में प्रतिवाद प्रस्तुत कर सकता है।

(3) प्रजनक, यदि क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रतिवाद प्रस्तुत करने में असफल होता है अथवा अवेहलना करता है ऐसी दशा में यह मान लिया जाएगा कि प्रजनक उक्त दावा में प्रतिवाद नहीं प्रस्तुत करना चाहता है और वह दावा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार निर्धारित कर दिया जाएगा।

(4) प्राधिकरण, प्रजनक से प्रतिवाद प्राप्त होने पर दोनों पार्टियों को सुनवाई का अवसर देकर और उचित पाए जाने पर प्रजनक को कृषक, कृषकों के समूह अथवा कृषकों के संगठन, जैसी भी स्थिति हो, क्षतिपूर्ति हेतु निर्देशित कर सकता है।

आवेदन के पंजीकरण हेतु कुछ सूचना देने के आशय से (अधिनियम की धारा 40)

(1) अधिनियम के अध्याय III के अंतर्गत किसी किस्म के पंजीकरण हेतु प्रजनक अथवा अन्य व्यक्ति को आवेदन में किस्म के प्रजनन अथवा विकास में जनजातीय अथवा गाँव परिवारों द्वारा संरक्षित आनुवंशिक सामग्री का प्रयोग करने की दशा में सूचना को आवेदन में प्रकट करना होगा।

(2) यदि प्रजनक अथवा ऐसा अन्य व्यक्ति उपधारा (1) में वर्णित सूचना बताने में असफल होता है तो रजिस्ट्रार, संतुष्ट होने पर कि प्रजनक अथवा अन्य व्यक्ति दुर्भावना से और जानबूझ कर ऐसी सूचना छुपा रहा है, पंजीकरण हेतु आवेदन निरस्त कर सकता है।

समुदायों के अधिकार (अधिनियम की धारा 41)

(1) कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह (जो सीधे कृषि कार्य में संलग्न है अथवा नही) अथवा कोई सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठन भारत में किसी भी गाँव अथवा स्थानीय समुदाय के लोगों की ओर से जैसी भी स्थिति हो, किसी किस्म के विकास में किए गए अंशदान हेतु प्राधिकरण द्वारा अधिकारिक गजट में केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले से स्वीकृत किसी अधिसूचित केन्द्र में उन गाँव अथवा स्थानीय समुदाय के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है।

(2) जहाँ कोई दावा उपधारा (1) के अंतर्गत किया गया, उपधारा के अंतर्गत अधिसूचित केन्द्र, उन व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा उन सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा इस प्रकार दावा किया गया और उचित पाया गया और उन गाँव अथवा स्थानीय समुदाय द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्म के विकास के लिए सार्थक अंशदान संतोषजनक है, दावा को सत्यापित कर सकता है एवं प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।

(3) जब प्राधिकरण, उपधारा (2) की रिपोर्ट से संतुष्ट होने पर, जाँच करने के उपरान्त उचित पाए जाने की स्थिति में, वह किस्म जिसके बारे में रिपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया, निर्धारित तरीके से किस्म के प्रजनक को नोटिस जारी कर और निर्धारित तरीके से आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अवसर देकर और सुनवाई कर, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी सीमा में, आदेश द्वारा, क्षतिपूर्ति राशि व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठन जिन्होनें उपधारा (1) के अंतर्गत दावा किया है, उचित पाए जाने की स्थिति में भुगतान किया जाएगा।

(4) किस्म के प्रजनक द्वारा उपधारा (3) में स्वीकृत क्षतिपूर्ति जीन निधि में जमा किया जाएगा।

(5) उपधारा (3) में स्वीकृत क्षतिपूर्ति को भूमि राजस्व (मालगुजारी) माना जाएगा और प्राधिकरण, तदनुसार वसूली हेतु कार्यवाही करेगा।

अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत नोटिस जारी करना (नियम 68)

(1) धारा 41 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित केन्द्र से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठन, किसी गाँव अथवा स्थानीय समुदाय के लोगों की ओर से नई प्रजाति के विकास मे किए गए अंशदान की प्रतिपूर्ति हेतु दावा दाखिल की स्थिति में, प्राधिकरण यदि संतुष्ट है, पंजीकृत प्रजनक को अथवा उसके समनुदेशक अथवा पंजीकृत अभिकर्ता को तृतीय अनुसूची के प्रारूप ओ–12 में नोटिस जारी कर सकता है।

(2) प्राधिकरण से नोटिस प्राप्त होने पर, पंजीकृत प्रजनक अथवा उसका समनुदेशक अथवा पंजीकृत अभिकर्ता प्रथम अनुसूची में वर्णित प्रारूप पी वी–27 में दावों की प्रतिपूर्ति हेतु तीन माह में प्रतिवाद दाखिल कर सकता है।

(3) प्राधिकरण, पंजीकृत प्रजनक अथवा उसके समनुदेशक अथवा पंजीकृत अभिकर्ता से प्रतिवाद प्राप्त होने पर, दोनों पार्टियों को सुनवाई का अवसर देकर और प्रतिपूर्ति के परिमाण की पात्रता को निर्धारित करने के पश्चात् प्रजनक को, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठन जो अधिनियम की धारा(41) की उपधारा(1) के अंतर्गत दावा किया है, प्रतिपूर्ति के भुगतान करने के लिए निर्देशित करेगा और अपेक्षित धनराशि दो माह के अंदर जीन निधि में जमा करेगा।

अनजाने में हुए किसी उल्लंघन के प्रति सुरक्षा (अधिनियम की धारा 42)

(i) अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी अधिकार का अनजाने में हुए किसी उल्लंघन का कृषक द्वारा उल्लंघन नहीं माना जाएगा, जिसे उल्लंघन के समय ऐसे किसी प्रकार के अधिकार की जानकारी नहीं थी।

(ii) अधिनियम की धारा 65 में उल्लिखित किसी भी उल्लंघन के लिए न्यायालय किसी भी वाद में छूट प्रदान कर सकता है जो पहले न्यायालय द्वारा न दी गयी हो तथा न ही किसी ऐसे संज्ञान को इस अधिनियम द्वारा अपराध माना जाएगा जिसके बारे में कृषक द्वारा न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध कर दिया जाय कि सम्बंधित उल्लंघन के समय उसे

पंजीकृत धान की कृषक किस्म–तिलकचंदन